संख्या बी–2–2223/दस–2014–1–2014

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 24 जुलाई, 2014

विषय–तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत नागर स्थानीय निकायों हेतु **वित्तीय वर्ष 2014–15** के आय–व्ययक में व्यवस्थित **सामान्य समनुदेशन** की अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–61 में नगरीय निकायों हेतु व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि रूपये 5775.00 करोड़ में लेखानुदान की धनराशि को समायोजित करने के पश्चात् स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि रूपये 3850.00 करोड़ की 3% धनराशि (ए.टी. आर. में उल्लिखित संस्तुति संख्या–519 व 514.1 के अनुसार क्रमशः **2%** प्रोत्साहन की एवं **1%** मलिन बस्तियों के सुधार की धनराशि) को छोड़कर, 97**%** धनराशि **रूपये 3734.50 करोड़ (रूपये तीन हजार सात सौ चौंतीस करोड़ पचास लाख मात्र)** नगरीय निकायों को दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र. सं.	निकाय	स्वीकृत धनराशि (करोड़ रूपयों में)
1.	नगर निगमों हेतु	1493.80
2.	नगर पालिकाओं/ नगर परिषदों हेतु	1493.80
3.	नगर पंचायतों हेतु	746.90
	योग	**3734.50**

2–उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत की जा रही है:–

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि आपके द्वारा तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों का पालन करते हुए ए.टी.आर. की संस्तुति संख्या–514.2 के अनुसार निकायों को धनराशि आवंटित किये जाने की प्रक्रिया में **प्रदेश की स्थानीय निकायों को अन्तरण के पुनर्निर्धारण सम्बन्धी वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग के शासनादेश संख्या–एफ.सी. 59/दस–2013–19/2012, दिनांक 27 फरवरी, 2013** को संज्ञान में लेते हुए, निकायों को धनराशि का आवंटन किया जायेगा।

(2) **निकायों को आवंटित धनराशि का 1/8 भाग प्रतिमाह निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा नगर विकास अनुभाग–9 के शासनादेश संख्या–719/नौ–9–2014–193ज/13, दिनांक 19 जून, 2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कोषागार से आहरित कर सीधे निकायों के खातों में ई–पेमेन्ट द्वारा हस्तान्तरित किया जायेगा।**

(3) केन्द्रीयकृत सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन अंशदान से सम्बन्धित धनराशि का भुगतान दी जा रही धनराशि में से किया जायेगा।

(4) यदि किसी निकाय के समायोजन/कटौती की धनराशि शेष है, तो सम्बन्धित निकाय को मिलने वाली उनके हिस्से की धनराशि में से समायोजन/कटौती किये जाने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि सम्बन्धित निकाय को आवंटित किया जाय।

(5) तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ए0टी0आर0 की संस्तुति संख्या–529.1 के अनुसार नगरीय निकायों के पक्ष में संक्रमित की गयी धनराशियों के संबंध में निकायों द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय को उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय।

क्रमशः–2

(6) निकाय द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना, वाउचर संख्या व दिनांक सहित, स्थानीय निकाय उनसे प्राप्त करेगें तथा संहत सूचना शासन के वित्त विभाग व नगर विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(8) नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन व निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र. उपरोक्तानुसार स्वीकृत व आवंटित की गयी धनराशि के उपयोग की समीक्षा की जायेगी।

3– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–61 के अन्तर्गत लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा:–

क्र. सं.	निकाय का नाम	लेखाशीर्ष	धन (क
3.	नगर निगमों हेतु	"3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर– 191–नगर निगमों को सहायता– 03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन– 0301–सामान्य समनुदेशन– 28–समनुदेशन"	1
4.	नगर पालिकाओं/नगर परिषदों हेतु	"3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर– 192–नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता– 03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन– 0301–सामान्य समनुदेशन– 28–समनुदेशन"	1
5.	नगर पंचायतों हेतु	"3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर– 193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता– 03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन– 0301–सामान्य समनुदेशन– 28–समनुदेशन"	
		योग	

भवदीय,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट)
विशेष सचिव।

संख्या : बी–2–2223(1)/दस–2014–1/2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4– वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–8, उत्तर प्रदेश शासन।
5– नगर विकास अनुभाग–9, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट)
विशेष सचिव।